राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः— सामान्य/परिवहन/2020/ 33950 दिनांकः— 18 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

मैं शिव प्रसाद एम. नकाते जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा, मोटर वाहन, अधिनियम 1988 की धारा 112 एवं राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 8.1 के उपनियम(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीलवाडा जिले की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु जिला सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन समिति की ओर से गठित उप समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित वाहनों की श्रेणी के लिए क्षेत्र एवं सड़क की श्रेणी के अनुसार जिले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गतिसीमा के अध्यधीन गतिसीमा का निर्धारण , भीलवाडा शहर में साईलेन्स जोन, पार्किंग स्थल तथा नो पार्किंग जोन भी निर्धारित करता हूँ —

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा वाहनों की श्रेणी , सड़क की श्रेणी एवं क्षेत्र के अनुसार गतिसीमा के निर्धारण हेतु पूर्व में दिनांक 05 अगस्त 2004 को जारी अधिसूचना को अधिक्रांत करते हुए दिनांक 06 अप्रैल 2018 को नई अधिसूचना संख्या एस.ओ1522(E) जारी कर अधिकतम गतिसीमा का निर्धारण किया है जो निम्नानुसार है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गतिसीमा (दिनांक 06.04.2018 से प्रभावित)

(सारणी अ)

क्र.सं.	मोटर वाहनों के प्रकार	4 लेन और ऊपर विभाजित कैरिजवे (मेडियन स्ट्रिप्स / डिवाइडर वाली सड़कें)	बिना डिवाइडर वाली रोड़ या हाईवे	शहरी / नगरीय सीमा में अधिकतम गतिसीमा	अन्य सड़कें
1.	चार पहिया यात्री वाहन (चालक सहित बैठक क्षमता 9 तक)(एम 1 श्रेणी)	100 किमी / घंटा	80 किमी / घंटा	70 किमी / घंटा	70 किमी / घंटा
2.	चार पहिया यात्री वाहन (चालक सहित बैठक 9 से अधिक)(एम 2 व एम 3 श्रेणी)	90 किमी / घंटा	70 किमी / घंटा	60 किमी / घंटा	60 किमी / घंटा
3.	माल की ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले भार वाहन (सभी एन श्रेणी के वाहन)	80 किमी / घंटा	60 किमी / घंटा	60 किमी / घंटा	60 किमी / घंटा
4.	मोटरसाइकिलें (दो पहिया)	80 किमी / घंटा	60 किमी / घंटा	60 किमी / घंटा	60 किमी / घंटा
5.	चौपहिया मोटरसाइकिलें	60 किमी / घंटा	40 किमी / घंटा	50 किमी / घंटा	50 किमी / घंटा
6.	तीन पहिया वाहन	50 किमी / घंटा	30 किमी / घंटा	50 किमी / घंटा	50 किमी / घंटा

नोटः यदि गति, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकतम गतिसीमा के पांच प्रतिशत के अंदर पायी जाती है, तो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 183 के अधीन गति सीमाओं के अतिक्रमण का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित वाहनों की सड़क एवं क्षेत्र के अनुसार अधिकतम गतिसीमा(अधिसूचना संख्या एस.ओ1522(E) दिनांक 6 अप्रैल 2018 से प्रभावित) के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले के निम्न डिवाईडेड 4 लेन नेशनल हाईवे पर वाहनों की श्रेणी के अनुसार गतिसीमा का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है।

(सारणी ब)

क्र.सं.	मोटर वाहनों के प्रकार	चार पहिया यात्री वाहन (चालक सहित बैठक क्षमता 9 तक)(एम 1 श्रेणी)	चार पहिया यात्री वाहन (चालक सहित बैठक 9 से अधिक)(एम 2 व एम 3 श्रेणी)	माल की ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिक वाहन (सभी एन श्रेणी के वाहन)	मोटरसाइकिलें समस्त प्रकार के दो पहिया वाहन
1.	नेशनल हाईवे 27 (आरोली टोल प्लाजा से सलावटियां चौराहा तक)	80 किमी/घंटा	70 किमी/घंटा	70 किमी/घंटा	60 किमी/घंटा

नोटः 1. यदि गति, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकतम गति के पांच प्रतिशत के अंदर पाई जाती है, तो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 183 के अधीन गति सीमाओं के अतिक्रमण का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

- वाहनों की श्रेणी अनुसार भीलवाडा शहर सहित अन्य नगर पालिका क्षेत्रो में अधिकतम गतिसीमा

(सारणी स)

क्र.स.	मोटर वाहनों के प्रकार	अधिकतम गतिसीमा
1.	चार पहिया यात्री वाहन (चालक सहित बैठक क्षमता 9 तक)(एम 1 श्रेणी)	50 किमी/घंटा
2.	चार पहिया यात्री वाहन (चालक सहित बैठक 9 से अधिक)(एम 2 व एम 3 श्रेणी)	40 किमी/घंटा
3.	माल की ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले भार वाहन (सभी एन श्रेणी के वाहन)	40 किमी/घंटा
4.	मोटरसाइकिलें (समस्त प्रकार के दुपहिया वाहनों के लिए)	40 किमी/घंटा
5.	तीन पहिया वाहन	30 किमी/घंटा

नोटः यदि गति, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकतम गतिसीमा के पांच प्रतिशत के अंदर पाई जाती है, तो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 183 के अधीन गति सीमाओं के अतिक्रमण का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

नोट :–

1. सारणी ब ओर स में दी गई विभिन्न वाहनों के लिए सड़क/क्षेत्रवार निर्धारित अधिकतम गतिसीमा के अतिरिक्त वाहनों की क्षेत्र/सड़क के अनुसार पर तालिका अ के अनुसार अधिकतम गतिसीमा होगी, जिसे वाहन चालक को अपने वाहन की श्रेणी, सड़क की श्रेणी एवं क्षेत्र के अनुसार निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना होगा, यह भी आवश्यक नहीं है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गतिसीमा का जगह–जगह गतिसीमा का साइन बोर्ड लगें।
2. समस्त रोड़ एजेन्सी यथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर विकास न्यास, नगर परिषद/पालिका एवं अन्य एजेन्सी गति सीमा का अनिवार्य साइलेन्स/पार्किग जोन आदि का चिन्ह बोर्ड सहदृश्य स्थान पर लगाना सुनिश्चित करेंगे।

भीलवाड़ा शहर में निम्नानुसार साईलेन्स जोन एवं पार्किंग स्थल का निर्धारण किया जाता है:—

साईलेन्स जोन

1. ओवर ब्रिज, जिला कलक्ट्रेट कार्यालय, जिला कलक्टर — पुलिस अधीक्षक — जिला एवं सेशन न्यायाधीश निवास, सेशन कोर्ट रोड़ एवं आसपास का क्षैत्र।
2. राजेन्द्र मार्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय, एमएलवी कॉलेज, से.मु.मा. राजकीय महाविद्यायल एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं समस्त महाविद्यालय एवं विद्यालयों के आसपास का क्षैत्र।
3. महात्मा गांधी चिकित्सालय एवं समस्त चिकित्सालयों के आसपास का क्षैत्र।

शहर के पार्किंग स्थल

1. चौपहिया वाहन (कार / जीप) :—
   रेल्वे स्टेशन के सामने , इन्दिरा मार्केट योजना में प्रदर्शित इन्दिरा मार्केट प्याऊ के पास, पुलिस कन्ट्रोल रूम के पीछे लक्ष्मीनारायण मन्दिर के पास, मुख्य डाकघर की दीवार के सहारे, कॉपरेटिव के पास, सूचना केन्द्र के सामने, आयुर्वेद अस्पताल दीवार के सहारे, नागोरी गार्डन, महात्मा गांधी अस्पताल के सामने, सेशन कोर्ट के अन्दर, बादल टॉकीज के सामने, भैरव कॉम्पलेक्स के पास, शनिदेव मंदिर के सामने गांधीनगर, आजाद चौक मूर्ति के पास , आजाद चौक के अन्दर पश्चिम दिशा की दीवार के सहारे, आजाद चौक — महिला मार्केट, पशु चिकित्सालय के पास, अविविनिलि कार्यालय कृषि मण्डी के सामने, गांधी मजदूर सेवालय के पास महावीर पार्क की दीवार के सहारे एवं बंजारा होटल (इन्दिरा मार्केट) के सामने।
2. दुपहिया वाहन पार्किंग स्थल :—
   सम्पूर्ण शहर में स्थित बाजार में दुकानों के बाहर सफेद लाईन के अन्दर 5" फिट के क्षैत्र में, सेशन कोर्ट दीवार के सहारे, आजाद चौक के अन्दर, आजाद चौक — महिला मार्केट,एवं मुख्य डाकघर (मजार) के पास।
3. पिकअप पार्किंग स्थल :—
   काशीपुरी रोड़ पर मानसिंहका हवेली के साकने (रेल्वे पटरी के सहारे), बीएसएनएल ऑफिस के पास एवं गर्ल्स कॉलेज दीवार के सहारे (बड़ला चौराहा रोड़)।
4. टेम्पो / ऑटो पार्किंग स्थल :—
   रोड़वेज बस स्टेण्ड के बाहर, महाराणा टॉकिज , अजमेर तिराहा, रेल्वे फाटक के पास, श्रीगेस्ट हाउस चौराहा, बड़ला चौराहा एम,जी, अस्पताल छोटे गेट के पास।
5. हाथ थैला स्टेण्ड :— बाजार न. 2 कन्ट्रोल रूम के पीछे, कृषि उपज मण्डी के पास।

नो—पार्किंग जोन

कलेक्ट्रेट चौराहे से सीरत सराय रोड़, स्टेशन चौराहा, गोल प्याऊ चौराहा, महाराणा टॉकिज , बालाजी मार्केट, सुभाष मार्केट कोतवाली मार्ग, राजेन्द्र मार्ग, मुरली विलास मार्ग, मशीनरी मार्केट एवं आजाद चौक मार्ग।

(शिव प्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा